फर्द अहकाम

प्रभाती देवी बनाम सोनी देवी

अपील संख्या 01/2021

दिनाक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.01.2025	पत्रावली प्रार्थी अपीलांट की ओर से अपील में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियत दिनांक 07.02.2025 से पूर्व आज पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो० को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गई। दोनों अधिवक्ताओं को इस पर सुना गया। शीघ्र सुनवाई हेतु उभय पक्ष सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार्य है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अपील निस्तारित किये जाने हेतु पेश किया। जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई। उभय पक्ष को सुना गया। वास्ते आदेश पत्रा0 दिनांक 20.01.2025 को पेश हो। अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर	
20.01.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि0 उपस्थित। प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी एवं अन्य ने माननीय न्यायालय सक्षम उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय अन्तिम डिक्री दिनांक 8.12.2020 के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण सं0 597 दिनांक 21.12.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसकी डिक्री की अपील अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 532/2020 उनवानी प्रभाती देवी बनाम सोनी देवी व अन्य पेश की। जो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 13.01.2025 के द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वे प्रश्नागत भूमि के सन्दर्भ में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज भागचन्द व मोहन लाल पुत्र सत्यनारायण की सम्पूर्ण भूमि यानि जो 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि कम की गई है को सम्पूर्ण ही भागचन्द व मोहनलाल के खाते में दर्शाते हुए कुरेजात तहसीलदार अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर	

फर्द अहकाम

प्रभाती देवी बनाम सोनी देवी

अपील संख्या 01/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से
		से तलब का इस हद तक संशोधित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2020 में समाहित करें। तदनुसार अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.12.2020 में संशोधित करते हुये अपील निस्तारित की गई। चूंकि डिक्री दिनांक 8.12.2020 में ही संशोधन करने के आदेश अपर न्यायालय द्वारा जारी कर दिये गये हैं तो उक्त डिक्री के आधार पर तस्दीक किया नामा0 संख्या 597 दिनांक 21.12.2020 स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है। अतः अपर न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकरी द्वारा प्रकरण में डिक्री के सम्बन्ध में निर्णय जारी किया जा चुका है इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील समाप्त ड्राप की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर